इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 —आश्विन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ बी-1-1-2017-2-पांच (31).—अतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन राजपक्ष में पूर्व प्रकाशन किए बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (च) तथा (ज) एवं उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2017 के आलोक में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-1-01-2017-2-पांच (12), दिनांक 27 मार्च 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में नियम-1 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में, अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत) में एफ. एल.-2, एफ. एल.-3, एफ. एल.-3-ए, एफ. एल.-4, एफ. एल.-4-ए एवं एफ. एल.-5 की अनुज्ञप्तियों हेतु उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा.''.

2. यह संशोधन दिनांक 8 सितम्बर 2017 से प्रभावशील माना जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ बी-1-01-2017-2-पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-1-01-2017-2-पांच (31), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2017

No. F. B.-1-01-2017-2-V (31).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the rule of general application should be made at once without previous publication in the official Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (f) and (h) of sub-section (2) and read with proviso to sub-section (3) of Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in the light of the judgement of Hon'ble Supreme Court, dated 11th July 2017, the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F. B.-1-01-2017-2-V (12), dated 27th March 2017, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in clause (a) of sub-rule (1) of rule 1, at the end, for full Stop, colon shall be substituted and thereafter following Proviso shal be added, namely :—

"Provided that in Municipal areas (Municipal Corporation, Municipality and Nagar Panchayat), for F.L.-2, F.L.-3, F.L.-3A, F.L.-4, F.L.-4A and F.L.-5 licences, the said restriction shall not be applicable''.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 8th Septemeber 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.